अकाउंट एग्रीगेटर: अंतरसंचालनीयता और समेकित विवरण

अध्ययन/स्रोत-संदर्भ: रिजर्व बैंक का विकासात्मक व नियामकीय निर्णय: 7 अक्टूबर 2026
वास्तविक प्रकाशन तिथि: 20 अक्टूबर 2026
डिजिटल वित्त: सूचना-साझाकरण ढाँचा और ग्राहक सहमति

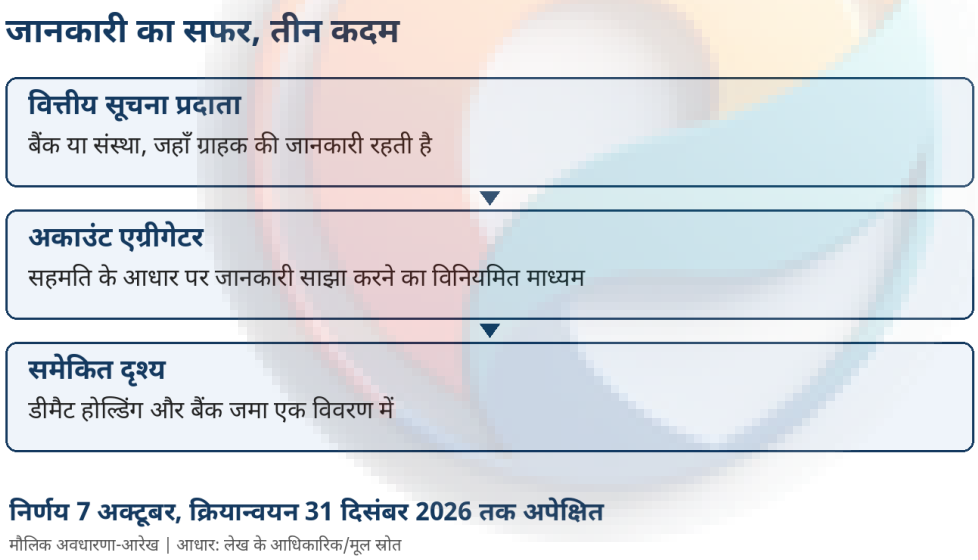
समाचार-संदर्भ:

7 अक्टूबर 2026 के रिजर्व बैंक के विकासात्मक और नियामकीय नीतियों के विवरण में दो उपाय बताए गए। पहला, एनबीएफसी-अकाउंट एग्रीगेटर के बीच अंतरसंचालनीयता लागू करना। दूसरा, बैंक जमा की जानकारी समेकित खाता विवरण में जोड़ने की सुविधा। दोनों के 31 दिसंबर 2026 तक लागू होने की अपेक्षा बताई गई; यह घोषणा-तारीख है, सेवा पहले से चालू होने का प्रमाण नहीं।

अंतरसंचालनीयता का अर्थ:

अभी ग्राहक की जानकारी अलग-अलग एग्रीगेटर व्यवस्थाओं में बँटी रहती है। अंतरसंचालनीयता से ग्राहक अपनी पसंद के किसी भी एनबीएफसी-अकाउंट एग्रीगेटर के माध्यम से अलग वित्तीय सूचना प्रदाताओं की जानकारी देख और साझा कर सकेगा।

एक ही एग्रीगेटर से सभी जुड़ी संस्थाओं की जानकारी उपलब्ध होना और सभी खातों या पैसे का एक ही जगह आ जाना अलग बातें हैं। यह जानकारी-साझाकरण का ढाँचा है, खातों का विलय या धन के स्थानांतरण की सेवा नहीं।



चित्र: लेख के मूल स्रोतों पर आधारित मौलिक अवधारणा-आरेख।

PCSMANTRA.COM

समेकित खाता विवरण में बदलाव:

दूसरे उपाय में सेबी-विनियमित डिपॉजिटरी को एग्रीगेटर के माध्यम से बैंक जमा खातों की जानकारी अपने समेकित खाता विवरण में शामिल करने की सुविधा दी जा रही है। इससे डीमैट खाताधारक अपनी डीमैट होल्डिंग और बैंक जमा एक ही विवरण में देख सकेंगे।

जिन ग्राहकों के पास डीमैट खाता नहीं है, वे पहले की तरह एनबीएफसी-अकाउंट एग्रीगेटर के माध्यम से अपनी वित्तीय जानकारी का समेकित दृश्य पा और साझा कर सकते हैं। समेकित विवरण में दिखना स्वामित्व या खातों के नियम बदल देना नहीं है।

सहमति और सीमा:

अकाउंट एग्रीगेटर ग्राहक की सहमति के आधार पर ही जानकारी प्राप्त और साझा करता है। ग्राहक को यह समझना चाहिए कि कौन-सी जानकारी, किस उद्देश्य और किसके साथ साझा होगी। डेटा साझा करने की अनुमति भुगतान या ऋण स्वीकृति की अनुमति नहीं बनती।

रिपोर्ट के अनुसार सहमति से जानकारी बीमा दलाल, परिसंपत्ति प्रबंधक और निवेश सलाहकार तक पहुँच सकेगी, जिससे सलाह बेहतर होने की अपेक्षा है। अपेक्षित लाभ को पहले से प्राप्त परिणाम न मानें; क्रियान्वयन संस्थाओं के जुड़ने पर निर्भर है।

संभावित उपयोग:

गवर्नर के विवरण में समेकित दृश्य से निष्क्रिय जमा खातों की पहचान में मदद की बात भी आई है, विशेष रूप से खाताधारक की मृत्यु के बाद परिवार को संपत्ति का पता लगाने में। यह संभावित उपयोग है।

परीक्षा में निर्णय की तारीख, अपेक्षित क्रियान्वयन तारीख और वास्तविक उपलब्धता अलग रखें। सुविधा की घोषणा उसकी वास्तविक गुणवत्ता या सुरक्षा की गारंटी नहीं है।

PCSMANTRA.COM

प्रारंभिक परीक्षा: अभ्यास प्रश्न

1. 7 अक्टूबर 2026 के रिजर्व बैंक विवरण के अनुसार एनबीएफसी-अकाउंट एग्रीगेटर की अंतरसंचालनीयता से क्या संभव होगा?

(a) सभी बैंक खाते एक ही बैंक में मिल जाएँगे

(b) ग्राहक बिना सहमति दिए जानकारी साझा कर सकेगा

(c) ग्राहक अपनी पसंद के किसी एग्रीगेटर से अलग सूचना प्रदाताओं की जानकारी देख व साझा कर सकेगा

(d) एग्रीगेटर सीधे ग्राहक का पैसा स्थानांतरित करेगा

उत्तर: (c) - अंतरसंचालनीयता जानकारी-पहुँच और साझाकरण का ढाँचा है; खातों का विलय या भुगतान सेवा नहीं।

2. समेकित खाता विवरण में बैंक जमा जोड़ने की व्यवस्था के संबंध में कौन-सा कथन सही है?

(a) यह केवल गैर-डीमैट ग्राहकों के लिए है

(b) सेबी-विनियमित डिपॉजिटरी एग्रीगेटर के माध्यम से बैंक जमा जानकारी CAS में शामिल कर सकेगी

(c) बैंक जमा की जानकारी देना अब सभी खाताधारकों के लिए अनिवार्य है

(d) इससे बैंक जमा डीमैट होल्डिंग में बदल जाएगी

उत्तर: (b) - डीमैट धारक दोनों जानकारी एक विवरण में देख सकेंगे; गैर-डीमैट ग्राहक एग्रीगेटर से समेकित दृश्य पा सकते हैं।

3. दोनों उपायों की क्रियान्वयन-स्थिति के बारे में सही निष्कर्ष क्या है?

(a) 7 अक्टूबर 2026 को दोनों सेवाएँ सभी ग्राहकों को मिल गईं

(b) केवल डीमैट धारकों को सेवा चालू हुई

(c) दिसंबर 2026 के बाद ही घोषणा होगी

(d) 31 दिसंबर 2026 तक लागू होने की अपेक्षा बताई गई; घोषणा तत्काल उपलब्धता नहीं

उत्तर: (d) - विवरण में अपेक्षित क्रियान्वयन तिथि दी गई है; घोषणा और वास्तविक उपलब्धता अलग हैं।

स्रोत:

रिजर्व बैंक: विकासात्मक और नियामकीय नीतियों का विवरण, 7 अक्टूबर 2026
https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=63743

समाचार रिपोर्ट: अंतरसंचालनीयता और CAS की व्याख्या, 7 अक्टूबर 2026
https://www.thehindu.com/business/rbi-to-allow-inter-operability-among-account-aggregators-integrate-bank-deposits-with-cas/article71555668.ece

PCSMANTRA.COM